

कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय,  
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण-रायगड  
पिन कोड नं. ४०२ १०७

|                                                  |                           |                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| फोन नं. ०२१४३-२५६८६०                             | ईमेल :- eenhpen@gmail.com | वेबसाईट :- http://www.mahapwd.com |
| जा. क्र. रामवि / पेण / प्रशा ५/ पेण खोपोली / ११७ |                           | दिनांक :- १६/०५/२०२३              |

प्रती,

उप वन संरक्षक,

वन विभाग अलिबाग

**विषय :-** Rehabilitation and Upgradation existing Highway to 2 Lane / 4 Lane with paved shoulder under configuration from Pen - Khopoli - Mahad ( Km 00+000 to Km 33+328) section of NH- 166 D ( Pen - Khopoli - Mahad ) on EPC mode in the state of Maharashtra

- पेण - खोपोली - महड (कि.मी ०.००० ते कि.मी. ३३.३२८) सेक्शन ऑफ एनएच १६६ डी मधील रस्त्याचे रुंदीकरणाकरीता वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव. मुद्देनिहाय त्रुटी पूर्तता / खुलासा सादर करणे बाबत.

- संदर्भ :-**
१. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे कडील पत्र जा. क्र. एफ.एल.डी. १३२३/ प्र. क्र. १२४/ फ-१० दि. २१.०४.२०२३.
  २. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व केन्द्रस्थ अधिकारी, नागपूर यांचे कडील पत्र जा. क्र. कक्ष- १७ / नोडल / ठाणे/ आयडी - १३७२७ (NH) / २७०/ २२-२३, दि. २४.०४.२०२३.
  ३. मुख्य वन संरक्षक ठाणे यांचे कडील पत्र जा. क्र. कक्ष - १० / वसं / प्र. क्र. २८ / २२-२३ / ७२ / २०२३-२४ दि. ०४.०५.२०२३.
  ४. उप वन संरक्षक, वन विभाग अलिबाग यांचे कडून परिवेश पोर्टल द्वारे दि. ०८.०५.२०२३ रोजी प्राप्त.

उपरोक्त विषयांकीत कामी या कार्यालयामार्फत पेण - खोपोली - महड (कि.मी ०.००० ते कि.मी. ३३.३२८) सेक्शन ऑफ एनएच १६६ डी मधील रस्त्याचे रुंदीकरणाकरीता वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव दि. १२.०४.२०२१ रोजी परिवेश पोर्टलवरऑनलाईन सादर करण्यात आला आहे. तसेच सदर प्रस्ताव दि. २३.०४.२०२१ रोजी हार्ड कॉपी मध्ये सादर करण्यात आला.

सदर प्रस्ताव वन विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ कार्यालयाकडून सचिव, महसूल व वनविभाग, महाराष्ट्र शासन या कार्यालयास सादर करण्यात आला आहे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे कडील संदर्भीय पत्र क्र १ अन्वये चार तृटी उपस्थित करण्यात आल्या असून मुद्दे निहाय पूर्तता / खुलासा खालील प्रमाणे सादर करण्यात आला.

| क्र | मुद्दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पूर्तता / खुलासा                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| १   | उप वन संरक्षक, अलिबाग यांनी ऑन लाईन पार्ट -2 मध्ये अ.क्र. 2 येथे वळतीकरणासाठी प्रस्तावित जमिन 2.8855 आणि अ.क्र. 3 व 4 येथे 9.4249 असे नमूद केले आहे. सबब, त्यामध्ये 9.9249 अशी सुधारणा करून ऑनलाईन पार्ट 2 सादर करावा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सदर मुद्दा वन विभागाशी संबंधित असल्याने वन विभागाकडून पूर्तता होणेस विनंती आहे. |
| २   | प्रस्तावित जमिनीच्या बहुतांश 7/12 उताऱ्यावर खाजगी व्यक्तींची नावे आहेत. तसेच 7/12 उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग-2, कुळ कायद्याने प्राप्त जमिन, हेटवणे प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी व कालव्यासाठी भूसंपादन कलम 4 अन्वये संपादित जमिन, वन अधिनियम कलम 35 मधून मुक्त, बाळगंगा नदी प्रकल्पासाठी संपादित, संरक्षित कुळ, पेण खोपोली रस्ता रुंदीकरणासाठी संपादित क्षेत्र अशा प्रकारच्या नोंदी आहेत. मौजे पिंपळगाव आणि गागोदे बुद्रुक येथील खाजगी वनजमिन चौकशीवर प्रलंबीत असा शेरा लिहून, वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वळतीकरणासाठी प्रस्तावित केली आहे. सदर जमिन वनजमिन असल्याचा कोणताही उल्लेख 7/12 उताऱ्यावर दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर जमिनीला वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 च्या तरतुदी लागू होतात किंवा कसे, याबाबत पुनश्च तपासणी करून, माहिती सादर करावी. | सदर मुद्दा वन विभागाशी संबंधित असल्याने वन विभागाकडून पूर्तता होणेस विनंती आहे. |

88P  
18/5-12023  
जावक लिपीक  
उप वनसंरक्षक  
अलिबाग यांचे कार्यालय

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३ | प्रकल्प यंत्रणेने खाजगी हक्क धारकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे.                                                                                                                                                                                                   | सदर रस्ता राज्य मार्ग दर्जाचा असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यापूर्वीच सन १९७२ ते १९७९ दरम्यान भूसंपादन होऊन सरासरी ३० मीटर हद्द ही या विभागाच्या ताब्यात आहे. वळतीकरणासाठी प्रस्तावित केलेले क्षेत्र हे अस्तित्वातील, पूर्व भूसंपादित हद्द क्षेत्र असल्याने व सदर क्षेत्र शासनाचे असल्याने खाजगी हक्क धारकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. |
| ४ | वळतीकरणासाठी प्रस्तावित केलेल्या मौजे पिंपळगाव, गट नं. २७/२, ३०, मौजे कामाली, सर्व्हे नं. ४४pt., आणि गागोदे खुर्द, गट नं. ८, १३२, १४१बी येथील तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी प्रस्तावित केलेल्या मौजे शिहू ता रोहा, कक्ष नं. २०९ येथील क्षेत्राचे अधिकार अभिलेख सादर करावेत. | सदर मुद्दा वन विभागाशी संबंधित असल्याने वन विभागाकडून पूर्तता होणेस विनंती आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

सहपत्र :- निरंक

स्थळ प्रत का.अ.यांचे सहीची

कार्यकारी अभियंता,  
राष्ट्रीय महामार्ग विभाग,  
पेण करिता

प्रत :- मे. एसेन्सो एन्व्हायरो प्रा. लि. यांना माहितीसाठी रवाना.

प्रत :- उप विभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, पेण यांना माहिती व पुढील कार्यावाहीस्तव रवाना.

प्रत :- मे. जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रा प्रा. लि. प्लॉट नं. ४९२, मार्केट यार्ड, सहकार नगर, पनवेल, रायगड यांना माहितीस्तव

प्रत :- मे. ध्रुव कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. एक्युलीड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस एलएलपी. रिव्हेरा को-ऑप हौसिंग सोसायटी, ए विंग, प्लॉट नं. ००२, ओमेगा, ऋषिवान रिसॉर्ट जवळ, ता.खालापूर, जि. रायगड, यांना माहितीस्तव